

अध्याय 2 आरक्षित वनों के सम्बन्ध में

धारा 3 - वनों को आरक्षित करने की शक्ति - राज्य सरकार ऐसी किसी वन भूमि या पड़त भूमि (Wasteland) जो सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के सम्पत्ति के अधिकार हैं, या जिसकी वनोपज की पूरी अथवा किसी भाग की सरकार हकदार है, इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति से आरक्षित वन बना सकेगी।

टिप्पणी - इस धारा में वन भूमि तथा पड़त भूमि शामिल है, चाहे वह किसी के कब्जे में हो, लेकिन अन्य भूमि तभी इसके अन्तर्गत आवेगी जब वह किसी के मालिकाना, कब्जे में न हो (1980 All LJ NOC 77)।

धारा 4 - राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना - जब किसी भूमि को आरक्षित वन (Reserved Forest) बनाने का निश्चय कर लिया गया हो तब राज्य सरकार राजपत्र में निम्न आशय की अधिसूचना जारी करेगी -

- (क) यह घोषणा करने वाली कि यह विनिश्चित किया गया है कि ऐसी भूमि को आरक्षित बनाया जावेगा।
- (ख) ऐसी भूमि की स्थिति एवं सीमा को यथा-सम्भव विनिर्दिष्ट करने वाली।
- (ग) ऐसी सीमाओं में समाविष्ट किसी भूमि में, या भूमि पर या किसी वन उपज में या वन उपज पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के अधिकारों के दावों की जाँच एवं अवधारण करने के लिये और उनके सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही करने के लिये जैसी इस अध्याय में उपबन्धित है, अधिकारी जिसे इसमें या इसके पश्चात् "वन व्यवस्थापन अधिकारी" (Forest Settlement Officer) कहा गया है को नियुक्त करने वाली।

स्पष्टीकरण

- (1) खण्ड (ख) के प्रयोजन के लिये यह पर्याप्त होगा कि वन की सीमाये मार्गो नदियों पुलों या अन्य सुविधित एवं सहज समझी जाने वाली सीमाओं से वर्णित की जावें।
- (2) उपधारा 1 के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त अधिकारी सामान्यतः ऐसा व्यक्ति होगा जिसने वन विभाग के अन्तर्गत वन व्यवस्थापन अधिकारी के अतिरिक्त कोई अन्य वन पद (Forest Officer) नहीं धारण कर रखा हो।
- (3) इस धारा की कोई बात, राज्य सरकार को, इस नियम के अधीन अधिकतम तीन तक अधिकारी वन व्यवस्थापन अधिकारी का कर्तव्य पालन करने हेतु नियुक्त करने से निवारित नहीं करेगी जिसमें अधिकतम एक अधिकारी "वन अधिकारी" भी हो सकता है।

धारा 5 - अधिकारों के प्रोद्भूत होने का वर्जन - धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी होने के उपरान्त, ऐसी अधिसूचना में समाविष्ट भूमि में, या भूमि पर, कोई अधिकार, उत्तराधिकार के जरिये या सरकार द्वारा या ऐसे व्यक्ति या उसकी ओर से जिसमें ऐसा अधिकार निहित था, जबकि अधिसूचना निकाली गई थी, लिखित रूप में दिये गये अनुदान या की गई संविदा के अधीन वर्जित होने के सिवाय, अर्जित न होगा, न ही राज्य शासन द्वारा बनाये नियमों के अतिरिक्त ऐसी भूमि में कृषि या अन्य प्रयोजन के लिये कटाई, वनों की सफाई की जा सकेगी।

टिप्पणी धारा 5 : धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी होने के उपरान्त राज्य शासन द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये नियमों के अतिरिक्त उक्त वन में लकड़ी कटाई अथवा वनों की सफाई धारा 26 (1) के अन्तर्गत वन अपराध (Forest Offence) है, चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो।

धारा 6 - वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा उद्घोषणा - धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना प्रकाशित होने के उपरान्त वन व्यवस्थापन अधिकारी सम्बन्धित भूमि के आस-पास बसे समस्त ग्रामों में, स्थानीय भाषा में, निम्न उद्घोषणा प्रकाशित करावेगा -

- (क) प्रस्तावित वन की स्थिति एवं सीमाओं को यथा सम्भव विनिर्दिष्ट करने वाली।
- (ख) ऐसे वन के आरक्षण होने पर एवं उसके पश्चात् होने वाले परिणामों तथा उपबन्धों की व्याख्या एवं जानकारी देने वाली सूचना।
- (ग) ऐसी घोषणा करने की तारीख से कम से कम तीन माह की अवधि नियत करने वाली तथा धारा 4 या 5 में वर्णित किसी अधिकार का दावा करने वाले हर व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाली कि वह

वन व्यवस्थापन अधिकारी के समक्ष ऐसे अधिकार के स्वरूप का, और उसके सम्बन्ध में दावाकृत प्रतिकार के परिमाण और विशिष्टियों का विनिर्दिष्ट करने वाली लिखित सूचना ऐसी कालावधि में प्रस्तुत करे या उपस्थित होकर कथन करे।

टिप्पणी (1) : यदि वन व्यवस्थापन अधिकारी ने पड़त भूमि के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति का आक्षेप निरस्त कर दिया है तथा कलेक्टर ने वन अधिनियम की धारा 17 के अधीन अपील निरस्त कर दी है और ऐसी निरस्त अपील के विरुद्ध कोई निगरानी नहीं प्रस्तुत की गई हो तो व्यवहार न्यायालयों (Civil Courts) को उस भूमि का मुआवजा दिलाने का अधिकार नहीं है (देखें महालक्ष्मी बैंक लि. वि. बंगाल प्रान्त (ए. आई. आर. 1942 कलकत्ता पृष्ठ 371)।

टिप्पणी (2) उपधारा (ग) : के अन्तर्गत केवल वे ही व्यक्ति अधिकार का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं जिनका उस भूमि पर सूचना प्रकाशन की तिथि को अधिकार था। धारा 4 के अन्तर्गत सूचना प्रकाशन के उपरान्त (Assignee) इस धारा के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत करने का हक नहीं है। इस परिस्थिति में Limitation Act की धारा 5 का भी लाभ नहीं मिलेगा। (1981, All LJ NOC 23)

धारा 7. वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा जाँच - वन व्यवस्थापन अधिकारी धारा 6 के अधीन दिये गये अधिकार के दावे से सम्बन्धित वादों की सुविधाजनक स्थान पर जाँच करेगा इसके अतिरिक्त, उन अधिकारों की, जो धारा 4 एवं 5 में वर्णित हैं, या शासकीय अभिलेखों में उपलब्ध है अथवा जिनकी जानकारी ऐसे व्यक्तियों के कथनों से जिन्हें अधिकारों का ज्ञान है, लेकिन धारा 6 के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत नहीं हुआ है परन्तु उनसे प्राप्त कर उनकी भी जाँच सुविधाजनक स्थान पर करेगा।

धारा 8. वन व्यवस्थापन अधिकारी की शक्तियाँ - ऐसी जाँच के प्रयोजन के लिये वन व्यवस्थापन अधिकारी निम्न शक्तियों का उपयोग कर सकेगा - अर्थात् -

(क) किसी भूमि पर, स्वयं या इस प्रयोजन के लिये अपने द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को, प्रवेश करने सर्वेक्षण करने (To Survey), सीमांकन करने (Demarcate) या उसका नक्शा बनाने की शक्ति और

(ख) वादों के विचारण में सिविल न्यायालयों की शक्तियाँ।

धारा 9. अधिकारों का निर्वापन - वे अधिकार, जिनका दावारा धारा 6 के अधीन नहीं किया गया है और जिनके अस्तित्व की जानकारी धारा 7 के अन्तर्गत की गई जांच द्वारा नहीं मिली है, जब तक कि उन अधिकारों का दावा करने वाला व्यक्ति, वन व्यवस्थापन अधिकारी का समाधान कि धारा 6 के अधीन नियत कालावधि के अन्दर ऐसा दावा न कर सकने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था, धारा 20 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशित होने के पूर्व नहीं कर देता, निर्वापित (extinct) हो जावेगे।

नोट I . यदि भूमि धारा 3 के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है, तब दावा करने वाले ने समयावधि में दावा नहीं किया है तो भी उनके दावे निर्वापित नहीं होंगे। (उत्तर प्रदेश राज्य वि. महन्त अवधनाथ A.I.R. 1977, All. 129)

धारा 10. स्थानान्तरी खेती (Shifting Cultivation) की पद्धति सम्बन्धी दावों का निराकरण -

(1) वन व्यवस्थापन अधिकारी स्थानान्तरी खेती की पद्धति (Shifting Cultivation) से सम्बन्धित दावे की अवस्था में दावेदारों का कथन लिपिबद्ध करेगा जिनमें बाद का विवरण हो तथा उस नियम या आदेश का विवरण प्राप्त करेगा, जिसके अन्तर्गत इस प्रकार की खेती प्रचलित है, तथा यह कथन एवं विवरण अपनी राय सहित, जिसमें यह स्पष्ट करेगा कि इस पद्धति की अनुमति दी जावे या पूर्णतः अथवा अंशतः प्रतिबन्धित की जावे, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) राज्य सरकार उस कथन एवं राय के प्राप्त होने पर, इस पद्धति को पूर्णतः या अंशतः अनुज्ञात या निषिद्ध करने वाला आदेश दे सकेगी।

(3) यदि ऐसी पद्धति पूर्णतः या अंशतः अनुज्ञात की जाती है तो वन व्यवस्थापन अधिकारी :

(क) बन्दोबस्त वाली भूमि की सीमायें इस प्रकार बदल दें कि इस पद्धति की खेती हेतु उचित प्रकार की, आवश्यक मात्रा (Sufficient extent), में तथा वादियों के लिये सुविधाजनक स्थान की भूमि दावदारों के लिये अपवर्जित हो जावे, या

(ख) बन्दोबस्त वाली भूमि के कतिपय प्रभागों का पृथक् से सीमांकन (Demarcation) कराकर और उसमें ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित करे, स्थानान्तरी खेती की पद्धति के लिये दावेदारों को अनुज्ञा देकर उसके प्रयोग का प्रबन्ध कर सकेगा।

(4) उपधारा 3 के अधीन किये गये सब इन्तजाम राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अधीन होंगे।

(5) स्थानान्तरी पद्धति से खेती के सम्बन्ध में यह समझा जावेगा कि यह ऐसा विशेषाधिकार है जिसे राज्य सरकार नियन्त्रित, निर्बन्धित, और उत्सादित कर सकती है।

धारा 11. ऐसी भूमि को अर्जित करने की शक्ति जिस पर अधिकार का दावा किया गया है - वन व्यवस्थापन अधिकारी किसी भूमि से या पर ऐसे किसी अधिकार विषयक किये गये दावे की दशा में, जो मार्ग अधिकार, चराई अधिकार, वनोपज सम्बन्धी अधिकार या जल मार्ग सम्बन्धी अधिकार से भिन्न है, उसे पूर्णतः या भागतः मंजूर या खारिज करने वाला आदेश देगा।

(2) यदि ऐसा दावा पूर्णतः या अंशतः मंजूर किया जाता है तो व्यवस्थापन अधिकारी या तो :

(i) ऐसी भूमि को प्रभावित वन की सीमाओं से अपवर्जित (exclude) करेगा या -

(ii) ऐसे अधिकारों के अभ्यर्पण (surrender) के लिये स्वामी से करार (Agreement) करेगा।

(iii) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) द्वारा उपबन्धित रीति से ऐसी भूमि को अर्जित करने की कार्यवाही करेगा।

(3) ऐसी भूमि को इस प्रकार अर्जित करने के लिए :

(क) वन व्यवस्थापन अधिकारी की बावत यह समझा जावेगा कि वह भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन कार्यवाही करने वाला कलेक्टर है।

(ख) दावेदार के बारे में यह समझा जावेगा कि वह उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन दी गई सूचना के अनुसार उसके समक्ष हाजिर होने वाला हितबद्ध व्यक्ति है।

(ग) इस अधिनियम की पूर्ववर्ती धाराओं के उपबन्धों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है, और

(घ) दावेदार की सम्मति से, या न्यायालय दोनों पक्षकारों की सम्मति से भूमि के रूप में या भागतः भूमि और भागतः धन के रूप में प्रतिकर कलेक्टर के अधिकार अनुसार अधिनिर्णित कर सकेगा।

धारा 12. चराई या वन उपज पर के दावों के अधिकारों के सम्बन्ध में आदेश - चराई या वन उपज पर अधिकारों से सम्बद्ध दावे की दशा में वन व्यवस्थापन अधिकारी उन्हें पूर्णतः या अंशतः मंजूर या खारिज करने वाला आदेश पारित करेगा।

टिप्पणी - (धारा 12) माननीय उच्च न्यायालय ने म. प्र. बीकली नोट्स 1978, पार्ट 1, क्रमांक 342) हरी व्यापारी संघ वि. म. प्र. राज्य में यह निर्णय प्रदान किया है कि राज्य शासन को यह अधिकार प्राप्त है कि वह धारा 12 के अन्तर्गत वनोपज का निवर्तन किसी भी रीति से कर सकता है।

धारा 13. वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा तैयार किये जाने वाले अभिलेख - वन व्यवस्थापन अधिकारी धारा 12 के अधीन कोई आदेश पारित करते समय निम्नलिखित को यथासाध्य अभिलिखित करेगा -

(क) अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम, जाति, निवास, उपजीविका, और

(ख) उन सब खेतों या खेतों के समूहों (यदि कोई हों) का नाम, स्थिति और क्षेत्रफल तथा उन सब भवनों के (यदि कोई हों) नाम और स्थिति, जिनके विषय में अधिकारों का दावा किया है।

धारा 14. जहां दावा मंजूर किया गया है वहां अभिलेख - यदि वन व्यवस्थापन अधिकारी धारा 12 के अधीन किसी दावे को पूर्णतः या अंशतः मंजूर कर लेता है, तो वह उन पशुओं की संख्या और विवरण, जिन्हें दावेदार समय-समय पर वन में चराने का हकदार है, वह ऋतु जिसके दौरान ऐसा चराना अनुज्ञप्त है, उस इमारती लकड़ी और अन्य उपज का परिमाण जिसे वह समय-समय पर लेने या प्राप्त करने के लिये अधिकृत है, और ऐसी अन्य विशिष्टियाँ जैसी उस मामले में अपेक्षित हों, विनिर्दिष्ट करके यह भी अभिलिखित करेगा कि कहां

तक दावा इस प्रकार मंजूर किया गया है। वह यह भी अभिलिखित करेगा कि दावाकृत अधिकारों के प्रयोग द्वारा प्राप्त इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज बेची जा सकेगी या वस्तु विनिमय की जा सकेगी या नहीं।

धारा 15. मंजूर किये अधिकारों का प्रयोग - वन व्यवस्थापन अधिकारी ऐसे अभिलेख तैयार करने के पश्चात् अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार और जिस आरक्षित वन के सम्बन्ध में दावा किया गया है, उनको बनाये रखने का सम्यक ध्यान में रखते हुए, ऐसे आदेश पारित करेगा जिससे इस प्रकार मंजूर किये गये अधिकारों का निरन्तर प्रयोग सुनिश्चित हो जावे।

(2) वन व्यवस्थापन अधिकारी इस प्रयोजन के लिए :

- (क) इस प्रकार आरक्षित किये जाने वाले वन खण्ड के अतिरिक्त कोई दूसरा पर्याप्त विस्तार वाला और युक्तियुक्त रूप में सुविधाजनक स्थान में स्थित वन खण्ड को ऐसे दावेदारों के प्रयोजन के लिये उपवर्णित कर सकेगा, और इस प्रकार मंजूर किये विस्तार तक यथास्थिति चराई या वन उपज का अधिकार प्रदान करने वाला आदेश पारित कर सकेगा।
- (ख) प्रस्तावित वन की सीमाओं को इस प्रकार बदल सकेगा कि दावेदारों के प्रयोजनों के लिये पर्याप्त विस्तार की और युक्तियुक्त रूप से सुविधाजनक स्थान की वन भूमि अपवर्जित (exclude) हो जावे।
- (ग) ऐसे दावेदारों को, यथास्थिति, चराई या वन उपज के अधिकार ऐसे मंजूर किए विस्तार तक, आदेशित ऋतु में, तथा प्रस्तावित वन के ऐसे प्रभागों के अन्दर, और ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जावें, चालू रखने वाला आदेश अभिलिखित कर सकेगा।

धारा 16. अधिकारों का रूपान्तरण (Commutation) - यदि वन व्यवस्थापन अधिकारी, आरक्षित वन को बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखकर धारा 15 के अन्दर ऐसे व्यवस्थापन करना असम्भव पाता है जिससे इस प्रकार मंजूर किये गये विस्तार तक उक्त अधिकारों का निरन्तर प्रयोग सुनिश्चित हो जाता है, तो वह ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जिसे राज्य सरकार इस निमित्त बनावें, उसके बदले में ऐसे व्यक्तियों को धनराशि के संदाय द्वारा, या भूमि के अनुदान द्वारा, या किसी अन्य रीति से, जिसे ठीक समझता है, ऐसे अधिकारों रूपान्तरण कर सकेगा।

धारा 17. धारा 11 धारा 12 धारा 15 एवं धारा 16 के अधीन पारित आदेशों के विरुद्ध अपील - ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन दावा किया है, या कोई वन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त साधारणतः या विशेषतः सशक्त अन्य व्यक्ति, दावे पर धारा 11, धारा 12, धारा 15 या धारा 16 के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा पारित आदेश की तारीख से तीन मास के अन्दर ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील राजस्व विभाग के कलेक्टर से अनिम्न पंक्ति के ऐसे अधिकारी के समक्ष कर सकेगा जिसे राज्य सरकार ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिये राज्य-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे :

परन्तु राज्य सरकार एक न्यायालय, जिसे इसमें इसके पश्चात् वन न्यायालय (Forest Court) कहा गया है, स्थापित कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त तीन व्यक्तियों से मिलकर गठित होगी और जब यह न्यायालय स्थापित हो जावे तब वैसी सब अपीलें उसके समक्ष प्रस्तुत की जावेंगी।

नोट : (1) मध्य प्रदेश शासन ने अधिसूचना क्रमांक 1028-3769-10-64 जो मध्य प्रदेश राज्य पत्र भाग 1 दिनांक 20-11-64 पृष्ठ 2765 में प्रकाशित है, धारा 17 के अधीन अपने क्षेत्रों में जिलाध्यक्ष (Collector) को अपील सुनने के लिये प्राधिकृत किया है।

टिप्पणी 1. (धारा 17) वन अधिनियम की धारा 17 के अधीन कलेक्टर को अपील सुनने हेतु अधिकृत किया है तो कलेक्टर "परसोना डेजिगनेटा" (Persona Designeta) है देखें ए.आई.आर. 1967 इलाहाबाद 472, इलाहाबाद लॉ जर्नल 1967।

यदि ऐसी अपील के अधिकार कलेक्टर को सौंपे गये हैं तो केवल कलेक्टर स्वयं ही अपील सुन सकता है।

टिप्पणी 2. इस धारा के अन्तर्गत अपील करने हेतु वन अधिकारी (Forest Officer) को भी प्राधिकृत किया है और वही अपील मेमो पर हस्ताक्षर करेगा। ऐसा वह राज्य शासन की ओर से कर रहा है। (उ.प्र. शासन वि. डिस्ट्रिक्ट जज, फैजाबाद एवं अन्य, AIR 1971, Allahabad 229)

धारा 18, धारा 17 के अधीन अपील (1) धारा 17 के अधीन हर अपील लिखित अर्जी द्वारा दी जायेगी और वन व्यवस्थापन अधिकारी को दी जावेगी जो उसे सुनवाई के लिये सक्षम अधिकारी को भेज देगा।

(2) यदि अपील धारा 17 के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी के समक्ष की जावे तो भू-राजस्व से सम्बद्ध मामलों में अपील की सुनवाई के लिये विहित रीति से उसकी सुनवाई की जावेगी।

(3) यदि अपील वन न्यायालय (Forest Court) के समक्ष की जावे, तो न्यायालय, अपील की सुनवाई के लिये कोई दिन, तथा प्रस्तावित वन के आसपास ऐसा सुविधाजनक स्थान, नियत करेगा और इसकी सूचना पक्षकारों को देगा और तदनुसार ऐसी अपील की सुनवाई करेगा।

(4) अपील पद, यथास्थिति, ऐसे अधिकारी द्वारा, न्यायालय द्वारा या ऐसे न्यायालय के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित आदेश, केवल राज्य शासन के पुनरीक्षण के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा।

धारा 19, अधिवक्ता (Pleaders) - राज्य सरकार या कोई व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन दावा किया है, इस अधिनियम के अधीन जांच या अपील के दौरान वन व्यवस्थापन अधिकारी, अपील अधिकारी या न्यायालय के समक्ष हाजिर होने, अभिवचन करने (Plead) और अपनी ओर से कार्य करने के लिये किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा।

धारा 20. प्रस्तावित वन को "आरक्षित वन" (Reserved Forest) घोषित करने की अधिसूचना -

(1) जब कि निम्नलिखित घटनायें घटित हो गई हों, अर्थात् -

(क) जबकि दावा करने के लिए धारा 6 के अधीन नियत कालावधि समाप्त हो गई हो तथा धारा 6 एवं 9 के अधीन सब दावों का (यदि कोई हों) वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटारा कर दिया गया हो।

(ख) यदि ऐसे दावे किये गये हों तो ऐसे दावों पर वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील करने के लिए धारा 17 द्वारा परिसीमित कालावधि समाप्त हो गई हो और कालावधि में प्रस्तुत की गई सभी अपीलों का निपटारा अपील अधिकारी या न्यायालय ने कर दिया हो, और

(ग) जबकि प्रस्तावित वन में सम्मिलित की जाने वाली सब भूमियाँ (यदि कोई हों) जिन्हें धारा 11 के अन्तर्गत वन व्यवस्थापन अधिकारी ने भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (Land Acquisition Act, 1984) के अधीन अर्जित करने के लिये चुना है, उस अधिनियम की धारा 16 के अधीन राज्य सरकार में निहित की गई हो।

तब राज्य सरकार परिसीमन सीमा-चिन्हों के अनुसार या अन्यथा उस वन की जिसे आरक्षित किया जाता है, सीमाओं को परिनिश्चित रूप से विनिश्चित करने वाली अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से उसे आरक्षित वन घोषित करने वाली अधिसूचना "राजपत्र" में प्रकाशित करेगी।

(2) ऐसा वन इस प्रकार नियम तारीख से आरक्षित वन (Reserved Forest) समझा जावेगा।

¹धारा 20-अ-वन भूमि या पड़त भूमि आरक्षित वन माने जावेगें - इस अधिनियम या वर्तमान में प्रभावशील कोई अन्य अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे भारतीय राज्य की सीमा के अन्तर्गत की वन भूमि (Forest Land) या पड़त भूमि (Waste Land) उन राज्यों के किसी एकिकृत राज्य (Integrated State) में विलय होने की तिथि से और अब उस राज्य का भाग होने से इस धारा में अन्यत्र "संविलयित राज्य" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा (Merger Territories) -

(i) संविलयन (Merger) की तिथि (1.11.56) के ठीक पूर्व उस समय प्रचलित किसी कानून, रीति-रिवाज (Custom), नियम, अधिनियम, आदेश या अधिसूचना के अधीन जिस भूमि को सम्बन्धित राज्य शासन के "आरक्षित वन" (Reserved Forest) के रूप में मान्यता दी हो, या

- (ii) कथित तिथि के ठीक पूर्व किसी प्रशासकीय रिपोर्ट में समाविष्ट, या किसी कार्य आयोजन (Working Plan) के अनुसार या किसी रजिस्टर में अभिलिखित (Recorded in Register) या रजिस्टर के अनुसार मान्य और कथित तिथि के बाद भी जा उस रूप में मानी गई है।

1. मध्य प्रदेश अधिनियम क्र. 9 वर्ष 1965 की धारा 20 (अ) प्रतिस्थापित

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये "आरक्षित वन" (Reserved Forest) माने जावेंगे।

(2) प्रश्नास्पद सीमा में प्रभावशील इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई नियम, आदेश या अधिसूचना के अभाव में किसी अन्य अधिनियम में किसी बात के विपरीत होते हुए भी उपधारा (1) में वर्णित कोई विधान, रिवाज, नियम, विनियम, आदेश या अधिसूचना विधिवत् प्रभावशील उसी तरह माने जावेंगे जैसे कि वे नियम, आदेश, अधिसूचना इस नियम के अन्तर्गत ही बनाये गये हैं और वे तब तक प्रभावशील रहेंगे जब तक कि उन्हें निरस्त, परिवर्तन या सुधार विधिवत् न किया जावे।

(3) उल्लिखित कोई रिपोर्ट, कार्य आयोजना या पंजी या उसमें कोई प्रविष्टि के सम्बन्ध में विवाद, व्यवहार न्यायालय में पस्तुत नहीं किया जा सकेगा, बशर्ते कि राज्य शासन यह प्रमाणित न कर दें कि कथित रिपोर्ट, कार्य योजना या पंजी, कथित शासक के प्राधिकार के अन्तर्गत विलयन की तिथि के पूर्व तैयार किया गया है और उसके बाद राज्य शासन द्वारा उनके प्राधिकार के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है और अविरत एवं प्रचलित है।

(4) संविलयित राज्य सीमा में ग्राम वन, संरक्षित वन या आरक्षित वन के अतिरिक्त अन्य कोई, किसी नाम से ज्ञात या स्थानीय नाम से ज्ञात मान्यता प्राप्त वन इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संरक्षित वन (Protected Forest) माने जावेंगे और उपधारा (2) एवं (3) के अन्तर्गत यथा आवश्यक परिवर्तन सहित (Mutatis Mutandis) प्रभावित होंगे।

स्पष्टीकरण 1. कार्य योजना (Working) से तात्पर्य कोई कार्य-योजना (Plan) परियोजना (Scheme), प्रोजेक्ट (Project), नक्शे (Maps), चित्र (Drawings) एवं अभिन्यास (Layouts) से है जो वन के कार्य, या प्रबन्ध के दौरान कार्यवाही को सम्पन्न करने के लिये तैयार किये गये हों।

स्पष्टीकरण 2. शासक (Ruler) से तात्पर्य संविलयन की तिथि से पूर्व दरबार प्रशासन से है और स्टेट गवर्नमेंट (State Government) से तात्पर्य कथित तिथि के बाद उत्तराधिकारी शासन से है।

स्पष्टीकरण 3. एकीकृत राज्य से तात्पर्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (15) में भारतीय राज्य का जो अभिकथन है, वही अर्थ होगा।

स्पष्टीकरण 4. एकीकृत राज्य से तात्पर्य मध्य प्रदेश राज्य, राजस्थान, मध्य भारत राज्य, विन्ध्य प्रदेश और भोपाल राज्य जो 1.11.56 के पूर्व विद्यमान थे, होगा।

नोट - आरक्षित वन में वन अपराध होने पर उसका न्यायालय में चालान करते समय "आरक्षित वन" प्रमाणित करने के लिए धारा 20 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना आवश्यक होती है। (अब्दुल वहाव वि. राज्य, MPLJ 1963 SN 37)

[(1969) 35 Cut. LT पृष्ठ 343]

(1970)-36 Cut. LT 395

धारा 21. ऐसी अधिसूचना के अनुवाद का वन के आस-पास के ग्रामों में प्रकाशन - ऐसी अधिसूचना द्वारा नियत तिथि के पूर्व, वन अधिकारी, इस अधिसूचना का स्थानीय भाषा में अनुवाद कराकर वन के आसपास के हर नगर एवं गाँव में प्रकाशित करावेगा।

धारा 22. धारा 15 या 18 के अधीन किये गये प्रबन्ध का पुनरीक्षण करने की शक्ति - राज्य सरकार, धारा 15 या 18 के अधीन किये गये किसी प्रबन्ध का पुनरीक्षण धारा 20 के अधीन जारी अधिसूचना के प्रकाशन के पांच वर्ष के अन्दर कर सकेगी। धारा 15 या 18 के अधीन किसी आदेश को इस प्रयोजन के लिये विखण्डित (Resuned) या रूपान्तरित (Modify) कर सकेगी और निर्देश दे सकेगी कि धारा 15 में विनिर्दिष्ट कार्यवाहियों में से कोई कार्यवाही ऐसी कार्यवाहियों में से किसी अन्य के बदले में की जावे या धारा 12 के अधीन मन्जूर किये गये अधिकारों का धारा 16 के अधीन रूपान्तरण (Commute) किया जावे।

धारा 23. आरक्षित वन में कोई अधिकार इसमें उपबन्धित रीति के अनुसार अर्जित होने के सिवाय अर्जित नहीं होगा - आरक्षित वन में या उस पर किसी प्रकार का कोई अधिकार, केवल उत्तराधिकार द्वारा या सरकार द्वारा उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा, जिसमें ऐसा अधिकार धारा 20 के अधीन जारी अधिसूचना के समय निहित था, या उसकी ओर से दिये गये अनुदान या की गई लिखित संविदा के अधीन अर्जित किये जाने के सिवा, अर्जित नहीं होगा।

टिप्पणी

वन-भूमि के अतिक्रामकों को पट्टे पर देने की शक्ति राज्य शासन को नहीं है। वह इस संबंध में समझौता करने की शक्ति भी नहीं रखती है। (रतनसिंह राजपूत वगै. वि. म.प्र. राज्य वगै. 2012 (3) म.प्र.लॉ.ज. 173 (खण्डपीठ, म.प्र.)।

धारा 24. बिना स्वीकृति अधिकारों का अन्य संक्रामण (Alienated) न किया जावेगा - धारा 23 में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा कोई अधिकार जो धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन चालू रखा गया है, राज्य सरकार की मंजूरी के बिना अनुदान द्वारा, विक्रय द्वारा, पट्टे बन्धक (Mortgage) या अन्यथा अन्य संक्रान्त न किया जावेगा।

परन्तु जब कि ऐसा कोई अधिकार किसी भूमि या गृह से अनुलग्न (Appended) है तब वह ऐसी भूमि या गृह के साथ बेचा या अन्य संक्रान्त किया जा सकता।

(2) ऐसे किसी अधिकार के प्रयोग में अभिप्राप्त कोई इमारती लकड़ी या वन उपज, उस मात्रा तक के सिवाय जो धारा 14 के अधीन आदेश में मंजूर की गई हो, बेची या विनिमय नहीं की जा सकेगी।

धारा 25. आरक्षित वनों में के पथों एवं जल मार्गों को बन्द करने की शक्ति - वन अधिकारी, आरक्षित वन में किसी लोक या प्रायवेट मार्ग या जल मार्गों को राज्य सरकार अथवा उसके निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से बन्द कर सकेगा, परन्तु वह यह तभी कर सकेगा जबकि इस प्रकार बन्द किये मार्ग या जल मार्ग की बजाय ऐसा प्रति स्थानी पथ या जल मार्ग जिसको राज्य सरकार युक्तियुक्त रूप से सुविधाजनक समझती है, पहले से ही विद्यमान है या वन अधिकारी द्वारा उसके बदले में उपबन्धित या सन्निर्मित (Constructed) किया गया है।

टिप्पणी - धारा 25 वन विभाग द्वारा निर्मित वन मार्ग सार्वजनिक मार्ग नहीं है तथा वन विभाग ऐसे मार्गों के उपयोग को नियन्त्रित कर सकता है। वन विभाग द्वारा वन मार्ग पर ट्रक/बस के परिवहन हेतु शुल्क वसूल करना संविधान के आर्टिकल 265 के विपरीत नहीं है, बल्कि ऐसी सेवा देने के उपलक्ष्य में है। (आनन्द ट्रांसपोर्ट कं. प्रायवेट लि. वि. वन मण्डलाधिकारी - रायपुर (दक्षिण) वन मण्डल AIR 1959, Madhya Pradesh, 224)

धारा 26. ऐसे वनों में प्रतिषिद्ध कार्य - (1) कोई व्यक्ति जो -

(क) धारा 5 के अधीन प्रतिबद्ध नई कटाई, सफाई करेगा या

(ख) आरक्षित वन में ¹या उस क्षेत्र की भूमि में जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा धारा 4 के अन्तर्गत आरक्षित वन बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है, आग लगावेगा, या राज्य सरकार द्वारा बनाये किसी नियमों का उल्लंघन करते हुए ऐसी रीति से आग जलायेगा या जलते छोड़ देगा जिससे ऐसे वन संकटापन्न हो जावे।

या जो आरक्षित वन में

1. म. प्र. अधिनियम क्र. 9 वर्ष 1965 द्वारा संशोधित।

(ग) ऐसी ऋतुओं में, के सिवाय, जिन्हें वन अधिकारी इस निमित्त अधिसूचित करे, कोई व्यक्ति न तो आग जलावेगा, रखेगा या ले जावेगा।

(घ) पशुओं का अतिचार (Trespass) करेगा, या पशु चरायेगा या पशुओं के अतिचार करने की अनुमति (Permit) देगा।

(ङ) किसी वृक्ष की कटाई या ¹से ले जाने में लापरवाही से वन को हानि पहुँचाएगा।

- (च) किसी वृक्ष को काटेगा (Fells), वृक्ष के सूखने के उद्देश्य से उसके चारों ओर गहरा घाव (Girdle) बनायेगा, छाँटेगा (पत्ती या डाल काटना) (Lopping), छेवेगा (गोंद आदि निकालने के उद्देश्य से घाव बनाना) (Tap), या उसे जलाएगा, या उसकी छाल उतारेगा या पतियाँ तोड़ेगा या उसे अन्यथा नुकसान पहुँचाएगा।¹ या किसी अन्य वन उपज को नुकसान पहुँचावेगा।
- (छ) पत्थर की खुदाई करेगा (Quarries), चूना अथवा लकड़ी की कोयला फूँकेगा (Burns) या किसी वन की सफाई करता है, या तोड़ता है या विनिर्माण की प्रक्रिया में वनोपज का संग्रहण या परिवहन करेगा।
- (ज) खेती या अन्य प्रयोजन के लिये¹ किसी आरक्षित वन की सफाई करता है, या तोड़ता है या काश्त करता है या अन्य विधि से काश्त करने का प्रयास करता है।
- (झ) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये किसी नियम के उल्लंघन में शिकार खेलेगा, गोली चलाएगा, मछली पकड़ेगा, जल विषैला करेगा या पाश या जाल बिछाएगा, या
- (ञ) ऐसे किसी क्षेत्र में जहाँ हाथी परिरक्षण नियम, 1879 (1879) का 6) प्रवृत्त नहीं है,

इस प्रकार बनाये किन्हीं नियमों के उल्लंघन में हाथियों का वध करेगा या उन्हें पकड़ेगा। या वन को नुकसान पहुँचाने के कारण, ऐसे प्रतिकार के अतिरिक्त जिसका संदाय किया जाना, सिद्ध दोष करने वाला न्यायालय निर्दिष्ट करे या ऐसी अवधि के कारावास से जो¹ (1 वर्ष) तक हो सकेगा या जुर्माने से जो² (पन्द्रह हजार) रूपया तक हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

(2) इस धारा की बात के बावत यह न समझा जायेगा कि वह -

- (क) वन अधिकारी की लिखित अनुज्ञा या राज्य सरकार द्वारा बनाये गये किसी नियम के अधीन किये गये कार्य, को या
- (ख) धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन चालू रखे गये या सरकार द्वारा या उसकी ओर से धारा (23) के अधीन किये गये अनुदान या की गई लिखित संविदा द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार के प्रयोग को प्रतिषिद्ध करती है।

(3) जब किसी आरक्षित वन में जान-बूझकर या घोर उपेक्षा द्वारा आग लगाई जाती है तब (इस बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन कोई शास्ति लगाई गई है) राज्य सरकार निर्देश दे सकेगी कि ऐसे वन या उसके किसी प्रभाग में चराई या वनोपज से सम्बन्धित सब अधिकारों का प्रयोग उतनी कालावधि के लिये जितनी वह ठीक समझती है, निलम्बित रहेगा।

1. म. प्र. अधिनियम क्र. 9 वर्ष 1965 द्वारा संशोधित।

2. म. प्र. अधिनियम क्र. 7 वर्ष 2010 द्वारा संशोधित।

टिप्पणी

प्राथमिक सूचना अपराध को प्रभावित करने हेतु महत्वपूर्ण लेखपत्र है। उसके लिखे जाने में विलम्ब पश्चात्तवर्ती सोच का जनक होता है। ऐसी परिस्थिति में दोष सिद्धि संभव नहीं होती है। (म.प्र. राज्य वि. जमादार 2004 (1) मनिसा 27 (म.प्र.)।

आरक्षित वन क्षेत्र में वहाँ की भूमि को खोदकर निकाला गया फ्लेग स्टोन ट्रक में रख दिए जाने के उपरांत उसे उसी वन क्षेत्र की परिसीमा में जसि उपरांत ट्रक के समय हरण की कार्यवाही वैध थी। (म.प्र. राज्य वि. शब्बीर खान, 2006 (2) म.प्र.लॉ.ज. 50 (म.प्र.)।

- (1) धारा 26 (1) के अन्तर्गत अपराध में यहा प्रमाणित करना आवश्यक है कि आरक्षित वन से लकड़ी काटी गई एवं ले जाई गई। यह सबूत करने का अभियोजन पक्ष का उत्तरदायित्व है। (AIR 1959, SC 147)
- (2) वन भूमि से वृक्ष गिराना नहीं, ले जाना भी अपराध है।
- (3) मध्य प्रदेश संशोधित 9, वर्ष 1965 काफी व्यापक है संशोधित प्रावधान के अनुसार यह प्रमाणित करना काफी है कि अपराधी काश्त करता है या काश्त करने का प्रयास करता है

चाले वह; वह व्यक्ति न हो जिसने सर्वप्रथम की थी। अपराधी की दलील कि वन भूमि पर पूर्व से की काश्त होती आ रही है मानने योग्य नहीं है। अपराधी काश्त करने का दोषी है।

(State Vs. Jaimal, 1974 MPLJ SN 117, AIR 1924 Nag. 190 Dist.)

- (4) मध्य प्रदेश बीकली नोट्स 1983 क्र. 379 कान्तिराल वि. म. प्र. शासन, में यह निर्णय प्रदान किया गया है कि धारा 26 (1) सहपठित धारा 379 भा. द. वि. के अपराध में आरोप लगाने के लिये सारभूत कारण प्रथम दर्शनीय उपबन्ध है कि अभियुक्त के पास इस सम्बन्ध में कोई युक्तिसंगत स्पष्टीकरण या समाधान कारक उत्तर नहीं है कि उसने ताजी काटी गई काफी मात्रा में इमारती लकड़ी का आधिपत्य कैसे प्राप्त किया है।
ऐसी स्थिति में माननीय उच्च-न्यायालय ने द.प्र.सं. 1973 की धारा 482 के अधीन अपराधिक आरोप को निरस्त करने का आवेदन अस्वीकार किया है।
- (5) कोई व्यक्ति, उस वन भूमि में (जिसके आरक्षित करने के शासन की मंशा के अनुरूप धारा 4 के अन्तर्गत सूचना जारी कर दी है लेकिन धारा 6 अथवा 20 की कार्यवाही शेष है) काश्त के लिये भूमि तोड़ता है, तब यह काफी है कि धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी हो गई है तथा धारा 20 के अन्तर्गत अधिसूचना आवश्यक नहीं है। (1972 Cri L.J. 706)
- (6) उपधारा (घ) के अन्तर्गत वन अपराध में लिप्त पशु भी उसी प्रकार राजसात् (Confiscation) के योग्य है जिस प्रकार अवैध इमारती लकड़ी का परिवहन करते गाड़ी बँल AIR 1938 Nag. 385)
- (7) प्रत्येक वृक्ष को काटना अलग-अलग अपराध है कोई व्यक्ति जितने वृक्ष काटेगा उतने अपराध करेगा। (AIR 1918 All. 351)

धारा 27. यह घोषित करने की शक्ति कि वन आरक्षित वन नहीं रहा है - (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन कोई आरक्षित वन या उसका प्रभार, ऐसी अधिसूचना द्वारा नियम तारीख से, आरक्षित वन नहीं रह जावेगा।

(2) इस प्रकार उक्त तारीख से ऐसा वन या उसका प्रभार आरक्षित वन नहीं रह जावेगा किन्तु उसमें वे अधिकार (यदि कोई हो) जो निर्वापित (extinguished) हो गये हों, ऐसा न रहने के परिणामस्वरूप पुनर्जीवित (Revive) नहीं हो जावेंगे।